eISSN 2581-8996
HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.21743363
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 09, Issue 02, July 2026

भारतीय राजनीतिक चिंतन में मानवाधिकार विमर्श

डॉ0 मनोज कुमार वर्मा[1]
[1]एसो0 प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, स0ग0 राजकीय स्ना0 महाविद्यालय मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ, उ0प्र0।

Received: 21 July 2026, Accepted: 25 July 2026, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2026

Abstract

मानवाधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व है। भारत में मानवाधिकार की अवधारणा केवल आधुनिक संविधान अथवा अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भारतीय राजनीतिक एवं दार्शनिक परंपरा में अत्यंत प्राचीन हैं। वैदिक साहित्य, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन दर्शन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा आधुनिक भारतीय चिंतकों–महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, स्वामी विवेकानन्द, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के विचारों में मानव गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य भारतीय राजनीतिक चिंतन में मानवाधिकार की अवधारणा का विश्लेषण करना तथा यह स्पष्ट करना है कि भारतीय परंपरा में अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों पर भी समान रूप से बल दिया गया है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

प्रमुख शब्द– मानवाधिकार, भारतीय राजनीतिक चिंतन, संविधान, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, समानता, व्यक्ति की गरिमा

Introduction

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त वे मूलभूत अधिकार हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय की रक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) ने मानवाधिकारों को वैश्विक मान्यता प्रदान की। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपने संविधान में मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानवाधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दिया। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मानवाधिकार का विचार पश्चिमी अवधारणाओं से भिन्न एवं व्यापक है। भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अधिकारों के साथ–साथ समाज, नैतिकता, धर्म तथा कर्तव्य को समान महत्व दिया गया है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः', 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'अहिंसा परमो धर्मः' जैसे आदर्श मानवाधिकारों की मूल भावना को अभिव्यक्त करते हैं।

मानवाधिकार की अवधारणा– मानवाधिकार (Human Rights) वे मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण जन्मजात एवं स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार किसी राज्य, सरकार, संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि प्रत्येक मनुष्य की गरिमा (Human Dignity), स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मानजनक जीवन के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। मानवाधिकारों का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना तथा उसे भय, भेदभाव, शोषण

eISSN 2581-8996
HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.21743363
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 09, Issue 02, July 2026

एवं अन्याय से मुक्त जीवन प्रदान करना है। ये अधिकार सार्वभौमिक (Universal), अविभाज्य (Indivisible), अपरिहार्य (Inalienable) तथा परस्पर निर्भर (Interdependent) होते हैं।

मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा को वैश्विक स्तर पर 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights—UDHR) के माध्यम से व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। इस घोषणा में सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है। भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपने संविधान में मानवाधिकारों के मूल तत्वों को मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों तथा मूल कर्तव्यों के रूप में समाहित किया है। भारतीय परंपरा में मानवाधिकार की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक साहित्य, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन दर्शन, महात्मा गांधी तथा डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों में मानव गरिमा, समानता, अहिंसा, सामाजिक न्याय एवं करुणा पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति का 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का आदर्श समस्त मानव जाति के समान सम्मान एवं कल्याण का संदेश देता है। मानवाधिकारों के प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं–

जीवन का अधिकार – जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत मानवाधिकार है। इसका अर्थ केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, पोषण तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है।

समानता का अधिकार – समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग, जन्म, क्षेत्र अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता तथा समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है।

स्वतंत्रता का अधिकार – स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का आधार है। इसके अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, देश में कहीं भी आने–जाने तथा निवास करने का अधिकार तथा किसी भी वैध व्यवसाय या पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता शामिल है। यह अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा माना जाता है।

शिक्षा का अधिकार – शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास का आधार है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनता है तथा समाज के विकास में सक्रिय योगदान देता है। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक एवं बालिका के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, मतों एवं विश्वासों को शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीके से व्यक्त करने का अधिकार है। यह अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्य, कला, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास का आधार है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा निर्धारित उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

eISSN 2581-8996
HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.21743363
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 09, Issue 02, July 2026

धार्मिक स्वतंत्रता – धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, प्रचार करने अथवा किसी भी धर्म को न मानने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलतावादी परंपरा सुदृढ़ होती है।

सामाजिक एवं आर्थिक न्याय – मानवाधिकार केवल राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, उचित मजदूरी, स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा, भोजन, आवास तथा सम्मानजनक जीवन–स्तर प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक तत्व इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य को दिशा प्रदान करते हैं।

गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार – मानव गरिमा मानवाधिकारों का मूल आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, आत्मसम्मान, निजता, शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा तथा शोषण एवं अमानवीय व्यवहार से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास तथा सामाजिक सहभागिता को सुनिश्चित करता है।

मानवाधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ– मानवाधिकारों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- ये जन्मजात एवं प्राकृतिक अधिकार हैं।
- ये सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।
- ये सार्वभौमिक, अविभाज्य एवं अपरिहार्य हैं।
- इनका उद्देश्य मानव गरिमा एवं व्यक्तित्व की रक्षा करना है।
- ये लोकतंत्र, विधि के शासन एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला हैं।
- अधिकारों के साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी समान महत्व है।
- राज्य का दायित्व है कि वह इन अधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन सुनिश्चित करे।

मानवाधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन की आधारशिला हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने नागरिकों के मानवाधिकारों की कितनी प्रभावी ढंग से रक्षा करता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मानवाधिकार केवल व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक मूल्यों तथा लोककल्याण की व्यापक अवधारणा से भी गहराई से जुड़े हुए हैं।

भारतीय राजनीतिक चिंतन में मानवाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(क) वैदिक एवं उपनिषदिक परंपरा– वैदिक साहित्य में समस्त मानव जाति के कल्याण की भावना विद्यमान है। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का सिद्धांत मानव समानता एवं सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उपनिषदों में आत्मा की समानता का विचार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करता है।

(ख) बौद्ध एवं जैन दर्शन – भगवान बुद्ध ने जाति–भेद का विरोध करते हुए समानता, करुणा तथा अहिंसा का संदेश दिया। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के माध्यम से प्रत्येक जीव के सम्मान की शिक्षा दी। यह मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा के अनुरूप है।

eISSN 2581-8996
HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.21743363
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 09, Issue 02, July 2026

(ग) कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन

कौटिल्य ने राजा को प्रजा का सेवक माना तथा राज्य का उद्देश्य प्रजा के कल्याण को बताया। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन, विधि का शासन तथा नागरिक सुरक्षा पर बल दिया।

आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं मानवाधिकार

(क) महात्मा गांधी

गांधीजी के अनुसार अधिकारों का आधार कर्तव्य है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, समानता, ग्राम स्वराज, अस्पृश्यता उन्मूलन तथा धार्मिक सहिष्णुता को मानवाधिकारों की आधारशिला माना।

गांधी के मानवाधिकार संबंधी प्रमुख विचार

- सत्य एवं अहिंसा
- सामाजिक समानता
- अस्पृश्यता का विरोध
- महिला अधिकार
- धार्मिक सहिष्णुता
- ग्राम स्वराज

(ख) डॉ. भीमराव आंबेडकर– डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा संवैधानिक अधिकारों को मानवाधिकारों का मूल आधार माना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था उनके विचारों का परिणाम है। उन्होंने विशेष रूप से–

- समानता
- स्वतंत्रता
- बंधुत्व
- सामाजिक न्याय
- शिक्षा
- संवैधानिक उपचार

पर बल दिया।

(ग) स्वामी विवेकानन्द– स्वामी विवेकानन्द ने प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का स्वरूप माना तथा मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। उनके अनुसार शिक्षा, आत्मसम्मान तथा सामाजिक उत्थान मानव विकास के आधार हैं।

(घ) जवाहरलाल नेहरू– नेहरू ने लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय को आधुनिक भारत के मानवाधिकार विमर्श का आधार बनाया।

भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार– भारतीय संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानवाधिकार दस्तावेजों में से एक माना जाता है।

eISSN 2581-8996
HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.21743363
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 09, Issue 02, July 2026

मौलिक अधिकार

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार

राज्य के नीति–निर्देशक तत्व

- सामाजिक न्याय
- समान वेतन
- शिक्षा
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- निर्धनों का कल्याण
- पर्यावरण संरक्षण

भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं पश्चिमी मानवाधिकार अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन–

भारतीय दृष्टिकोण	पश्चिमी दृष्टिकोण
अधिकार एवं कर्तव्य दोनों पर बल	अधिकारों पर अधिक बल
सामाजिक उत्तरदायित्व	व्यक्तिगत स्वतंत्रता
नैतिकता एवं धर्म आधारित	विधिक एवं संवैधानिक आधार
समष्टिगत कल्याण	व्यक्तिवाद
वसुधैव कुटुम्बकम्	व्यक्तिगत अधिकार

भारत में मानवाधिकार के समक्ष चुनौतियाँ– आज भारत में मानवाधिकारों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ उपस्थित हैं–

- लैंगिक असमानता
- जातीय भेदभाव
- बाल श्रम
- मानव तस्करी
- पर्यावरणीय संकट
- डिजिटल निजता

eISSN 2581-8996
HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.21743363
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED JOURNAL
Volume 09, Issue 02, July 2026

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- साइबर अपराध
- अल्पसंख्यकों के अधिकार
- वृद्ध एवं दिव्यांग अधिकार

इन समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक मूल्यों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष– भारतीय राजनीतिक चिंतन में मानवाधिकार केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय परंपरा अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर भी समान बल देती है। महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर, विवेकानन्द, नेहरू तथा अन्य भारतीय चिंतकों ने मानव गरिमा, समानता एवं सामाजिक न्याय को लोकतंत्र का आधार माना। भारतीय संविधान ने इन मूल्यों को संवैधानिक रूप प्रदान किया है। वर्तमान समय में मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए शिक्षा, संवैधानिक जागरूकता, सामाजिक समावेशन तथा सुशासन को बढ़ावा देना आवश्यक है।

संदर्भ सूची–

1. Ambedkar, B. R. (1949). *The Constitution of India*.
2. Austin, G. (1999). *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Oxford University Press.
3. Basu, D. D. (2021). *Introduction to the Constitution of India*. LexisNexis.
4. Gandhi, M. K. (1958). *Hind Swaraj*. Navajivan Publishing House.
5. Kautilya. (2017). *Arthashastra* (R. P. Kangle, Trans.). Motilal Banarsidass.
6. Nanda, B. R. (1995). *Mahatma Gandhi: A Biography*. Oxford University Press.
7. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
8. Universal Declaration of Human Rights. (1948). United Nations.
9. भारतीय संविधान. (भारत सरकार).
10. शर्मा, आर. सी. (2020). भारतीय राजनीतिक चिंतन. जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स।
11. सिंह, एम. पी. (2019). भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार. नई दिल्ली, ओरिएंट ब्लैकस्वान।
12. विद्याभूषण एवं सचदेव. (2021). राजनीति विज्ञान के सिद्धांत. आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।